



प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सेवा) क्रमांक 3097/2008

याचिकाकर्तागण:

1. मनीष कुमार अग्रवाल, आयु लगभग 33 वर्ष, पिता श्री चंद्र कुमार अग्रवाल,
निवासी डॉ. गुलाटी नर्सिंग होम के पीछे, आर्य नगर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
2. अविनाश शर्मा, आयु लगभग 28 वर्ष, पिता श्री एन.के. शर्मा, निवासी पुराना
नाका पारा, चारामा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।
3. कु. शांति, आयु लगभग 24 वर्ष, द्वारा श्री हलाली, निवासी सुमन साइकिल
स्टोर्स, कृष्णा गैरेज के पीछे, इंदिरा नगर, दल्ली-राजहरा, जिला दुर्ग,
छत्तीसगढ़।
4. शंकर लाल रावटे, आयु लगभग 34 वर्ष, द्वारा श्री सुभान सिंह रावटे, निवासी
ग्राम बोरेगांव, पोस्ट थेमा बुजुर्ग, तहसील बालोद, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़।
5. श्रीमती स्वाति त्रिवेदी, आयु लगभग 39 वर्ष, पति श्री आलोक त्रिवेदी,
निवासी कर्मचारी कॉलोनी, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।





6. श्रीमती जिनी जॉर्ज, आयु लगभग 31 वर्ष, पति श्री जॉनसन सैमुअल,
निवासी सुभाष पारा, भानुप्रतापपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़।

विरुद्ध

उत्तरवादीगण:

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग,
डी.के.एस. भवन, मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
2. संचालक, संचालनालय, पंचायत एवं समाज सेवा, रायपुर (छत्तीसगढ़)।
3. कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर (छत्तीसगढ़)।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, जिला उत्तर बस्तर कांकेर
(छत्तीसगढ़)।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका)

एकल न्यायापीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायाधीश

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए श्री जितेन्द्र पाली, अधिवक्ता।

राज्य/उत्तरवादीगण क्रमांक 1 से 3 हेतु श्री अरुण साव, शासकीय अधिवक्ता।



मौखिक आदेश

(दिनांक 19.08.2008 को पारित)

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उत्तरवादी प्राधिकारियों ने उस आदेश के आशय को समझने में विफल रहे हैं जिसमें, आक्षेपित आदेशों दिनांक 23.05.2008 (संलग्नक पी/3 सामूहिक) को पारित करने से पूर्व, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करना आवश्यक था। यह आगे तर्क दिया गया है कि कारण बताओ नोटिस एक आधार पर जारी किया गया था और आक्षेपित आदेश दिनांक 23.05.2008 (संलग्नक पी/3 सामूहिक) विभिन्न आधारों पर पारित किए गए थे। उस आधार के संबंध में याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया था, जिसे आक्षेपित आदेश पारित करने के लिए आधार बनाया गया था।
2. जो भी हो, चूंकि इसमें तथ्यों का प्रश्न शामिल है जिस पर केवल अपीलीय प्राधिकारी द्वारा ही विचार किया जा सकता है, अतएव, यह प्रकरण वैसा नहीं है जिसमें वैधानिक मंच का अवलंब लेने के सामान्य नियम से विचलन की अनुमति दी जाए।





3. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के प्रश्न पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य एवं अन्य विरुद्ध गुजरात अंबुजा सीमेंट एवं अन्य¹ के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया है:

"17. हम सबसे पहले अपीलार्थी राज्य द्वारा उठाए गए वैकल्पिक उपचार संबंधी तर्क पर विचार करेंगे। संविधान (बयालीसवां संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा अनुच्छेद 226 में संशोधन की अवधि को छोड़कर, वैकल्पिक उपचार से संबंधित शक्ति को स्व-अधिरोपित सीमा का नियम माना गया है। यह अनिवार्य रूप से नीति, सुविधा और विवेक का नियम है और कभी भी विधि का नियम नहीं है। वैकल्पिक उपचार के अस्तित्व के बावजूद, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अनुतोष प्रदान करना उच्च न्यायालय की विवेकाधीन अधिकारिता के भीतर है। साथ ही, इस बात की उपेक्षा नहीं की जा सकती है कि यद्यपि वैकल्पिक उपचार से संबंधित मामला प्रकरण की अधिकारिता से कोई संबंध नहीं रखता है, सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि कोई पर्याप्त प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। यदि कोई व्यक्ति वैकल्पिक उपचार का लाभ उठाए बिना उच्च न्यायालय का रुख करता है, तो उच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित



करना चाहिए कि उसने एक प्रबल मामला बनाया है या असाधारण अधिकारिता का आह्वान करने के लिए अच्छे आधार मौजूद हैं।

21. जी. वीरप्पा पिल्लई विरुद्ध रमन एंड रमन लिमिटेड; सी.सी.ई. विरुद्ध इनलप इंडिया लिमिटेड; रमेंद्र किशोर विश्वास विरुद्ध त्रिपुरा राज्य, शिवगोंडा अन्ना पाटिल विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य; सी.ए. अब्राहम विरुद्ध आई.टी.ओ., टिटागढ़ पेपर मिल्स कंपनी लिमिटेड विरुद्ध उड़ीसा राज्य; एच.बी. गांधी विरुद्ध गोपी नाथ एंड संस; व्हेलपूल कॉर्पोरेशन विरुद्ध ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार; टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड विरुद्ध बिहार राज्य, शीला देवी विरुद्ध जसपाल सिंह और पंजाब नेशनल बैंक विरुद्ध ओ.सी. कृष्णन के प्रकरणों में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि जहां विधि द्वारा अपीलों का पदानुक्रम प्रदान किया गया है, वहां पक्षकार को रिट अधिकारिता का अवलंब लेने से पहले वैधानिक उपचारों का उपयोग करना चाहिए।"

4. इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश स्टेट स्पिनिंग कंपनी लिमिटेड विरुद्ध आर.एस. पांडेय एवं अन्य² के प्रकरण में उक्त अनुपात को लागू करते हुए उच्चतम न्यायालय ने निम्नानुसार निर्धारित किया है:



"21. उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम एस. कर्मचारी संघ के प्रकरण में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब विवाद विधि के अधीन किसी अधिकार या दायित्व के प्रवर्तन से संबंधित हो और इसलिए विधि के अधीन विशिष्ट उपचार प्रदान किया गया हो, तो उच्च न्यायालय को सामान्य दृष्टिकोण से विचलित नहीं होना चाहिए और अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब विचलन के लिए एक बहुत ही प्रबल प्रकरण स्थापित किया गया हो। जो व्यक्ति ऐसे उपचार पर बल देता है वह विधि के अधीन प्रदान की गई प्रक्रिया का लाभ उठा सकता है। इसी आशय के निर्णय प्रीमियर ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड विरुद्ध कमलेकर शांताराम वाडके, राजस्थान एस.आर.टी.सी. विरुद्ध कृष्ण कांत, चंद्रकांत तुकाराम निकम विरुद्ध नगर निगम अहमदाबाद और स्कूटर इंडिया विरुद्ध विजय ई.वी. एल्ड्रेड के प्रकरणों में दिए गए हैं।"

5. रिट याचिका की विचारणीयता बनाम वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता की अवधारणा पर एक अन्य विनिश्चय में, उच्चतम न्यायालय ने सचिव, उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट शिक्षा, इलाहाबाद एवं अन्य विरुद्ध एच.के. लाल³ के प्रकरण में निम्नानुसार निर्धारित किया है:



"4. अभिलेखों से यह सिद्ध होता है कि यह प्रश्न कि क्या उत्तरवादी को बोर्ड द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र में दर्ज अपनी जन्म तिथि को बदलने का विधिक अधिकार है, अपीलीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन था। इसलिए, उत्तरवादी द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका पर विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए विचार नहीं किया जाना चाहिए था कि उसके विरुद्ध अपील लंबित थी। रिट अधिकारिता विवेकाधीन अधिकारिता है और यदि वैकल्पिक उपचार उपलब्ध हो तो सामान्यतः इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।"

6. उपर्युक्त प्रकरणों में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों में एक समान सूत्र यह है कि, सामान्यतः उच्च न्यायालय को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए यदि कोई पर्याप्त प्रभावशाली वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है; जहां विधि द्वारा अपीलों का पदानुक्रम प्रदान किया गया है, पक्षकार को रिट अधिकारिता का अवलंब लेने से पहले वैधानिक उपचार को उपयोग करना चाहिए, सिवाय इसके कि जब इससे विचलन के लिए एक बहुत ही प्रबल प्रकरण स्थापित किया गया हो।

7. वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय द्वारा सुस्थापित सिद्धांतों को प्रकरण के तथ्यों पर लागू करते हुए, यह याचिका विचारणीय न होने के कारण खारिज की जाती है क्योंकि याचिकाकर्तागण के



पक्ष में असाधारण विवेकाधीन अधिकारिता के प्रयोग के लिए कोई प्रबल प्रकरण प्रकरण स्थापित नहीं किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्तागण को स्वतंत्रता दी जाती है कि वे यदि उचित समझें तो सभी उपलब्ध आधारों को उठाते हुए वैकल्पिक वैधानिक मंच का अवलंब ले सकते हैं। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

सही/-
सतीश के. अग्निहोत्री
न्यायाधीश

====0000====

(Translation has been done with the help of AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।